

इस हुक्म की तारीख में जारी हुई

जज अदालत

मुकाम

गुमान सिंह

बनाम भोजराज

करम मुकदमा

वाद

नं. 72/13

सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|
|-------------|------------------------------------|---|

1-10-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित कार्य व्यवस्था अधिक होने से आदेश नहीं लिखाया गया है। पत्रावली आईन्दा मजिद बहस व आदेश से दि 11-10-19 को पेश हो।

11-10-19 पत्रावली पेश हुई 300 सा. जयपुर मीटिंग से पधारें हैं।
उभय पक्ष उप.
अब पत्रावली पुनानुसार दिनांक 18-10-19 को पेश हो।

18/10/19 पत्रावली पेश हुई 10-11-2019 को पेश हो।
अब पत्रावली पुनानुसार दिनांक 22/10/19 को पेश हो।

22/10/19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष द्वारा अर्जीद बहस सुनी गयी। आदेश निर्णय दि 23/10/19 को पेश हो।


23/10/19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष द्वारा अर्जीद पत्रावली अध्याय 53-189 शा. हेतु 'अपराध' में विचारधीन थी, इस दाय पत्रावली में वकी को साक्ष्य प्राप्त जाने के पश्चात अपराध विधि जाने पर भी उनके द्वारा साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाने से साक्ष्य बन्ध की गई है। पत्रावली में प्रतिवादी के आविष्कार द्वारा भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है।
पत्रावली में वकी द्वारा साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाने व पत्रावली में दस्तावेज प्रदर्श नहीं किया जाने से वकी के पक्ष में अपराध लानकी सं. विह नहीं लेती है।

क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो इस
में

अतः वाद वादी का आदेश 53-188
 का अन्वय साक्ष्य सञ्चालन से सिद्ध नहीं
 होने से दावा खारिज किया जाता है।
 फताववी केसय सुमान की जावा जाय
 से कर रहे।


 23/10/19